try and Supply (Shri T. N. Singh): I beg to lay on the Table the items mentioned in the Order Paper. . .

Shri Ranga (Chittoor): You want us to respect the Chair. But is this the way the hon. Ministers should respect the Chair? He does not even mention the number of the item but says that he is laying the paper mentioned in the Order Paper. It is really extraordinary . . .

Shri T. N. Singh: I am sorry I forgot to mention item No. 7.

Shri Ranga: Has the hon. Minister offered his apology to you?

Mr. Speaker: Yes, he has now expressed his regret for it.

Shri T. N. Singh: I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) Annual Report of the National Instruments Limited, Calcutta, for the year 1963-64 along with Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor-General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on the working of the above Company. [*Placed in Library, see* No. LT-4168/65].

12.12 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

SIXTY-EIGHTH REPORT

Shri A. C. Guha (Barasat): I beg to present the Sixty-eighth Report of the Estimates Committee on the Ministry of Transport—Madras Port.

12.2¼ hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

THIRD REPORT

Shri P. G. Menon (Mukundapuram): I beg to present the Third Report of the Committee on Public Undertakings on the Shipping Corporation of India Limited, Bombay.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House for the week commencing 12th April, 1965, will consist of:—

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Discussion and voting on the Demands for Grants relating to the following Ministries:

Transport Health

Industry & Supply.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I would like to submit only two things. One is regarding the report of the Bonus Commission. We were told in this House that no discussion could be allowed during this session......

Mr. Speaker: It is being raised every week.

Mr. S. M. Banerjee: It is a very important question.

Mr. Speaker: I do not question the importance of it.

Shri S. M. Banerjee: I want to know whether the hon. Minister can give us an assurance that the Bill to implement the Bonus Commission's recommendations will be introduced and discussed in this House.

Dr. Ranen Sen (Calcutta East): In this session.

Shri S. M. Banerjee: Secondly, I would like to know when the discussion on the resolution regarding the President's Proclamation relating to the State of Kerala, which has already been admitted, would take place in this House.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं पार्लिमेंटरी एफेयर्ज़ के मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि एटोमिक एनर्जी के उपयोग से हम दोनों सहमत हैं । आप इसको निर्माण के लिए मानते हैं और हम दुश्मन का संहार करने के लिए मानते हैं । इस एटोमिक एनर्जी पर बहस कब होगी, होगी भी या नहीं होगी ? इसके लिए कोई समय रखा गया है या नहीं रखा है ? अगर नहीं रखा गया है तो क्यों नहीं आप रखते हैं ? मैं चाहता हूं कि इसके लिए समय रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर फार पार्लिमेंटरी एफेयर्ज़ और कुछ अपोजीशन ग्रुप्स ने आपस में इकट्ठा हो कर यह फैसला किया था। उस में मेरे बस की बात नहीं है। आपस में एग्री कर लिया था । इसलिए उसके फैसले के अनुसार हम चल रहे हैं । हाउस ने भी उस पर अपनी सम्मति दे दी है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : पार्लिमेंटरी एफेयर्ज़ के मंत्री जो गृह मंत्री जी से बात कर रहे हैं उन से मैं विशेष रूप से एक बात जानना चाहता हूं । अभी समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि सेंट्रल कैबिनेट ने जो मंत्रिमंडल की एक सब-कमेटी बिठाई थी उसने निश्चय किया है कि राज भाषा अधिनियम में संशोधन किया जाये, इस सम्बन्ध में कुछ विचार करे । आप ने अभी पिछले शुक्रवार को यह बताया था कि इस सम्बन्ध में कोई स्थिति इस प्रकार की नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से सहमत हो गई है कि उस पर संशोधन की कोई गुंजाइश है और विचार करे ? यदि हां तो अगले सप्ताह के कार्यक्रम में क्या उसे सम्मिलित किया जायेगा ?

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : उन सभी कामों के ऊपर जिन के लिए यह सदन पैसा देता है बहस का मौका मिलना चाहिये । उन में से एक काम है संसद कार्य । संसद् कार्य कितना बिगड़ा हुआ है यह मुझे आप को बताने की जरूरत नहीं है । शोभा के इरादे से उलटा ही नतीजा निकल जाया करता है । कुछ मेरा भी दोष होता हो या कुछ आप के भी दोष से होता हो, यह हो सकता है । मिसाल के लिए मैं इस सदन से दो बार निकाला गया हूं और दोनों बार मेरी राय में आप ने और सदन के नेता ने कायदे कानून तोड़े हैं । आप के ऊपर मैं प्रस्ताव नहीं ला सकता हूं क्योंकि मझे पचास आदमी चाहियें । साल भर में खाली एक मौका मुझ को मिलता है जब मैं यह बात यहां कह सकता हूं । कल जिस तरह से मधु लिमये साहब को निकाला गया . . . .

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब यह जो वक्त होता है जबकि मिनिस्टर फार पार्लिमेंटरी एफेयर्ज़ अपना बिजिनेस बतलाते हैं अगले हफ्ते का, उस वक्त तो यही आप पूछ सकते हैं कि किस बिजिनेस को लिया जा रहा है, किस को नहीं लिया जा रहा है । खाली आप बिजिनेस के बारे में पूछ सकते हैं कि अगले हफ्ते में कोई चीज़ आयेगी या नहीं आयेगी । और बातों की इस में गुंजाइश नहीं होती है । इस वक्त . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं यही कहना चाहता हूं कि संसद् कार्य पर बहस का मौका मिलना चाहिये । उसके लिए मैं समझता हूं आप को . . .

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दिया जा चुका है । अपोजीशन ग्रुप्स और बाकियों ने मिल कर फैसला किया था कि कौन कौन सी मिनिस्टरीज़ इस साल में डिसकस होंगी

और उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं । यह उनका फैसला है और यही संसद का फैसला है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं अर्ज़ कर कि मैं चाहे अकेला आदमी होऊं मेरी भी क राय है । मैं और यह सदन आप को पैसा देते हैं । मेरा अधिकार मझ से नहीं छीना जाना चाहिये कि यहां पर यह बहस रोकी जाये । यह अधिकार है मेरा । मान लीजिये कि जतने भी विरोधी दल हैं वे इस बात पर राज़ी हो गये —मैं नहीं समझता हूं कि मेरा दल राज़ी हुआ होगा—लेकिन अगर राज़ी हो भी गया हो, तो भी मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि संसद् का काम ब त जरूरी है और क दफा सवाल जवाब में और ध्यानाकर्षण में सरकार को मौका मिल जाता है एक गैर हाज़िर और नकली बाबूपन दिखाने का । उस पर तो कुछ बहस होनी चाहिये न ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : हमें भी कहने का मौका मिलना चाहिये । इन्होंने चेयर के ऊपर रिफ्लैक्शन किया है कि कानून और कायदे चेयर ने तोड़े हैं और चेयर को पैसा दे दिया था । ये शब्द इस में से एक्सपंज हो जाने चाहियें । चेयर पर ऐसा रिफ्लैक्शन नहीं होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पीछे दो बार लिमये जी ने भी उठाया था । मुझे लिखा भी था और यहां खड़े हो कर भी सवाल किया था । पिछले साल हमारे माननीय सदस्य श्री कामत ने इसको उठाया था और मैंने इसका फैसला भी दिया था । अब अगर कोई नया मेम्बर हर दफा आये और इस सवाल को नये सिरे से वह उठाते चले जायें तो कभी भी इसका या किसी और चीज का अंतिम हल नहीं निकल सकता है ।

मैंने कहा था कि इस में बहुत ज्यादा तकलीफ है और यह डिसकशन नहीं हो सकती है । मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं । अगर पार्लिमैंट पर डिसकशन की जाये तो पहली चीज़ तो यह है कि इस में दो सदन आते हैं । मैंने पिछली बार भी कहा था कि राज्य सभा के खर्च के ऊपर विचार का हमारा कोई अधिकार नहीं है और न ही वे यह वरदाश्त करेंगे कि हम उनके खर्च के मुताल्लिक कोई टीका टिप्पण करें या इस पर क्रिटिसिज्म करें ।

रही लोक सभा की बात । अगर लोक-सभा पर यहां विचार किया जाये तो पहला सवाल यह पैदा होता है कि जवाब कौन दे और नुक्ताचीनी किस पर की जाये । वह तो स्वीकार ही हो सकता है । अगर स्पीकर पर ही नुक्ताचीनी क जाये तो उसका जवाब कौन दे ? स्पीकर ही दे सकता है । फिर यहां कुर्सी पर कौन बैठे जब स्पीकर नीचे आकर उसका जवाब देने जाये । यहां कुर्सी पर किसी और को बिठाया जाये और इसकी हमारी कांस्टीट्यूशन इजाज़त नहीं देती ।

एक और सवाल इस सम्बन्ध में खड़ा किया जाता है और अमरीका की मिसाल भी दी जाती है । अमरीका में यह कायदा है कि वहां किसी को बिठा कर कुर्सी पर स्पीकर नीचे चला जाता है और डिबेट में हिस्सा ले सकता है और वह जवाब दे सकता है ।

एक सवाल यह भी किया गया था कि पिछली दफे कि मिनिस्टिर आफ पार्लिया-मटरी अफेअर्स जो हैं वह जवाब दे इस खर्च के लिए जो कि लोक सभा का है । अगर मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी अफेअर्स जबाब द तो पहले मैं उनको सैटिस्फाई करूं इस बात के लिये कि जो खर्च होत है इस लोक सभा में वह दुरुस्त है । अगर वह सैटिसफाई न हों तो मेरे लिये जबाब वह कैसे देंगे यहां । इस लिये पहले तो मुझे यह चाहिये कि में उने खुश करू । यानी में उन का मातहत हुआ । तो झे पहले उनका ज्वाइंट सैकेटरी बना दिया जाये ताकि में उन के मातहत रहूं

[अध्यक्ष महोदय]

और वह हाउस में पेश करें मेरे हिसाब को । या फिर किसी और मिनस्टर से कहा जा सकता है और में उस केनीचेआऊं । मैं पहले उसकी खुशामद करूं ताकि वह जबाब दे सकें ।

सवाल है लोक सभा के एस्टिमेट्स का और उसके खर्चे का । उस के खर्चे का आ-डिट होता है यहां के जो आडिटर जनरल हैं उन के जरिये, और हर एक मेम्बर को हक है उसकी रिपोट को वह जब चाहे वह देख ले कि आया वह खर्च जायज किया गया है या नहीं जो कि एस्टीमेट्स का है । पिछली दफे भी तज-बीज की गई थी और मैंने वायदा किया था कि इस हाउस के तीन मेम्बरों की कमेटी बनाऊंगा । उस में एक होंगे चेअरमैन, एस्टीमेट्स कमेटी, दूसरे होंगे चेअरमैन, पब्लिक एकाउंट्स कमेटी, और तीसरे डिप्टी स्पीकर को रखा जायेगा । तीनों पहले एस्टीमेट्स को देखलें और फिर वह एस्टी-मेट्स बजट में जाये । चुनांचे उस के मु-ताबिक में ने अमल किया । उन्होंने रि-पोर्ट किया उस के बाद एस्टीमेट्स भेजे गये हैं ।

इस दफे कामत साहब ने फि यह कहा था कि आगे के लिये यह किया जाये कि एक आदमी आपोजीशन का भी इसमें रक्खा जाये । इस पर भी मेंने कहा था कि अच्छा, इस दफे तो एस्टीमेट्स चले गये, आइन्दा के लिये मैं यह भी कंसीडर करूंगा कि आया उस में आपोजीशन का भी एक आदमी शामिल कर लिया जाये । इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है । न कभी इन सत्तरह सालों में कुछ हुआ ह और न किसी और जगह ऐसी डिमाक्रेसी में है । वर्ना इस हाउस की और इस सैकेटेरियट की जो इंडेपेंडेंस है वह सब जाती रहेगी और वह चल नहीं सकेगा । यह सैक्रेटेरियट इस तरह से काम नहीं कर सकेगा ।

अगर किसी को कोई शिकायत है तो वह मुझे लिखे कि यह शिकायत है । मैं उस केस को मंगाने के लिये तैयार हूं और जिस को शिकायत है उस को भी बुला लूंगा । में इस बारे म सैटिस्फाई करने के लिये तैयार हूं । यह सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन मैं हाउस से कहूंगा कि मुझे किसी मिनिस्टिर के नीचे न कर दिया जाये ताकि वह मेरे हिसाब किताब को देख सके ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कुछ कहने देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इस कायदे में मैं और कोई दखल नहीं दे सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह मैं ने केवल आप के बारे में नहीं कहा था । सदन के नेता का माला तो आप से कहीं ज्यादा आता है कि क्या सदन के नेता कोई सचिव बना दिये जायेंगे । जरूर बना दिये जायेंगे । क्यों न बना दिये जाय । तो सारे मामले पर बहस करने के लिये मैं ने आपके सामने बात रक्खी । यह सवाल नहीं है कि आप ने पैसा किसी ना-जायज तरीके से खर्च कर दिया । लेकिन पैसा देश के हित के काम में खर्च करना चाहिये । तो हित और अनहित क्या है, इस के लिये आखिर साल भर में एक ही तो मौका मिलता है न, कि किस तरह से लोक सभा की कार्रवाई चलाई जाये । आखिर यह मौका और किसी तरह से मिल नहीं सकता । इस पर आप ध्यान दें । आप अपने बारे में कोई और रास्ता निकालने के लिये सोचें । यह जो सदन के नेता हैं या संस कार्य-मंत्री हैं, या जो हमारे यह मित्र लोग हैं वह संख्या में, उन सब के व्यवहार पर अगर कभी आप मुझ को मौका नहीं देंगे बहस करने का तो आप मुझ से एक अधिकार छीन रहे हैं और वह बुनियाद है लोकशाही की

अध्यक्ष महोदय : वह तो मौका आप को हर वक्त मिलता है, इस सदन में जो लोग बैठते हैं उन सबको ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जो पैसा देता है उस को अधिकार है कहने का कि किस तरह से यह पैसा खच हो ।

अध्यक्ष महोदय : अब में ने आप से कहा . . .

Shri S. M. Banerjee *rose*—

Mr. Speaker: I have heard him.

Shri S. M. Banerjee: You said you have formed a committee.

Mr. Speaker: I have not formed any committee.

Shri S. M. Banerjee: You said that you have constituted that committee or board. I have nothing to say on the point whether it should be discussed or not, though I think there should have been an opportunity to discuss it. But I have this feeling. Because the service conditions of all those who are working under you are governed by the Home Ministry rules, is it possible that we could also discuss their wages, working conditions and service conditions while we discuss the Home Ministry Demands? Otherwise, nobody can speak for them; they have no association as such. I would only request you to consider this matter.

अध्यक्ष महोदय : आप होम मिनिस्ट्री पर बात कीजिये । जो वह ऐडाप्ट करेंगे वही हम भी ऐडाप्ट कर लेंगे । आप होम मिनिस्ट्री पर जो चाहे डिस्कशन कीजिये । हम उसी को ऐडाप्ट करते हैं ।

Shri S. M. Banerjee: Can we mention that?

अध्यक्ष महोदय : जो कंडीशन्स होम मिनिस्ट्री की हैं वह सब हम लोक सभा पर लागू करेंगे । लेकिन स्टाफ को मौका मिले मेम्बर्स के पास जाकर अपने केसेज रिप्रेजेंट करने का और वह यहां लाये जायें, इस की इजाजत में नहीं दे सकता ।

Shri S. M. Banerjee: That is exactly what I mean, whether we can mention by name that the staff working under you in the Lok Sabha Secretariat....

Mr. Speaker: No.

श्री स० मो० बनर्जी : आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, लेकिन में एक पासिबिलिटी बतला रहा हूं ।

Shri Ranga (Chittoor): This is a very embarrassing situation created, I do not know how. I thought Swargiya Vithalbhai Patel has done a great service to India's democracy by wresting from the then rulers of this country freedom for this House to manage its own affairs and attend to its own finances. I think I speak for a large section of the Opposition in addition to my own group when I say that we are entirely with you when you said that you do not think it advisable to place the affairs of this House under the control of any of the Ministers.

I do not wish to go into details because this is not the proper occasion. We are content with the convention, almost the understanding, that we reached last time when this question came up on the initiative, as you said, of Shri Kamath, that it should be left to the small sub-committee which we requested you to constitute to look into the accounts of our Lok Sabha.

[Shri Ranga]

In regard to the working conditions and all these other things also, I hope that that committee would look into all those things and then if there is any trouble anywhere, they would try and take necessary decisions and give you proper advice; and we have every confidence in you that you would be able to implement whatever advice that would be given by that committee.

In regard to the expansion of that committee and so on, there would be other occasion when we can discuss it. There is no reason why we should take any decision now.

Mr. Speaker: Thank you.

श्री सत्य नारायण सिंह : श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने जो सवाल उठाया, अखबार में वह रिपोर्ट किस तरह निकली मैं नहीं जानता' लेकिन गवर्नमेंट ने कोई फैसला इस पर किया ही नहीं है कि ऐक्ट अमेंड किया जाये। वह अभी विचाराधीन है और कम से कम अगले सप्ताह कोई कार्यक्रम ऐसा आने वाला नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न शायद आपने समझा नहीं। मेरा प्रश्न तो बड़ा स्पष्ट है कि क्या प्रधान मन्त्री जी या मन्त्रिमण्डल ने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार कर लिया है कि राजभाषा अधिनियम में कोई संशोधन किया जाय और संशोधन क्या हो यह काम इस उपसमिति को सौंपा गया है अथवा संशोधन हो या न हो यह काम उपसमिति को सौंपा गया है।

Shri Ranga: How is it relevant in this connection?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा, और यह आवाज आई इस तरफ से, मैं भी इस से एग्री करता हूं कि

How is it relevant now?

सवाल सिर्फ इतना है कि शास्त्री जी का कि क्या इस ला में कोई संशोधन आने वाला है। बस इतना ही।

श्री सत्य नारायण सिंह : अगले सप्ताह तो कुछ नहीं आने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : अब दूसरा सवाल।

श्री सत्य नारायण सिंह : श्री बनर्जी का सवाल बहुत पुराना है और हर बार आता है। मैंने लेबर मिनिस्टर से पूछा कि बोनस कमीशन की रिकमेन्डेशन्स के बारे में बिल संसद् के उठने के पहले पास हो जायेगा या नहीं। हो सकता है लेकिन There is many a slip between the cup and the lip. This is a Bill in connection with which as members in the Opposition also know, there are some difficulties; there are some difficulties with labour also. They have a tripartite conference. So some trouble, something or the other arises at the eleventh hour. But so far as Government are concerned, they are trying their level best to introduce this Bill before the session is over.

Mr. Speaker: Shri S. V. Ramaswamy.

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे बोलने का मौका देंगे। मेरा भी प्वाइंट है!

अध्यक्ष महोदय : अब और क्या प्वाइंट आ सकता है, मैं दूसरे आइटेम पर चला गया।

श्री किशन पटनायक : यह जरा आप से सम्बन्धित है। यहां किस पर बहस होगी और किस पर नहीं होगी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहना यह था कि जब एक बार बजट डिमाण्ड्स पेश हो जाती हैं तो संविधान में हम लोगों का अधिकार है कि हम किसी भी मांग पर कटौती प्रस्ताव दे सकते हैं।

अगर उस कटौती प्रस्ताव पर बहस नहीं होगी तो वोट तो लिया जायेगा। सारे बजट के ऊपर वोट लिया जायेगा। तो मैंने और श्री मधु लिमये ने डिमाण्ड नम्बर 109, जो लोक-सभा सचिवालय से सम्बन्धित है, मैं कई कटौती के प्रस्ताव दिए थे, लेकिन उन कटौती के प्रस्तावों को एडमिट नहीं किया जा रहा है यह कह कर कि यह परम्परा नहीं है। पर यह परम्परा की बात नहीं है, यह संविधान में है और रूल्स में भी है कि किसी भी डिमाण्ड पर हम कट-मोशन दे सकते हैं। तो जो हमारा एक संविधान सिद्ध अधिकार है उसको आप कैसे छीन लेंगे?

अध्यक्ष महोदय : इसके बाबत मुझे जो कहना था वह मैंने पहले कह दिया, और मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

श्री किशन पटनायक : वह तो मुझे आपने बहस के बारे में कहा...

अध्यक्ष महोदय : जब बहस ही नहीं हो सकती तो कट मोशन कैसे आवेगा?

श्री किशन पटनायक : हम कटौती का प्रस्ताव दे सकते हैं क्योंकि यह हमारा संविधान सिद्ध अधिकार है। उसे आप कैसे छीन लेंगे?

अध्यक्ष महोदय : जब उस पर बहस ही नहीं होगी तो प्रस्ताव कैसे आवेगा?

श्री किशन पटनायक: बहस तो कई चीजों पर नहीं होती।

12.31 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

RUBBER BOARD

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): I beg to move:

"That in pursuance of sub-section (2) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board."

Mr. Speaker: The question is:

"That in pursuance of sub-section (3)(e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board."

The motion was adopted.

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है उसे सुन लीजिए। मैं कभी कार्रवाई में दखल नहीं देता हूं। मुझे दो मिनट लगेंगे। मैं कल की कार्रवाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कल की कार्रवाई को अब नहीं खोल सकता। उसके बारे में सदन का फैसला हो चुका है। जो काम खत्म हो चुका उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : कल की कार्रवाई गलत थी।

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में हाउस का फैसला हो चुका है, मैंने उस बारे में फैसला नहीं किया था।

श्री सरजू पाण्डेय : मेरा एक निवेदन है...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री सरजू पाण्डेय : मैंने कभी आपका हुक्म नहीं टाला, आज भी नहीं टालूंगा और बैठ जाऊंगा। लेकिन...

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका कि आप बैठ जाइए।